रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 19—अप्रैल 25, 2014 (चैत्र 29, 1936)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19—APRIL 25, 2014 (CHAITRA 29, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 मार्च 2014

सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.10/सीएमडी/2014--राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जनहित में एवं इस बार से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ यह आवश्यक समझता है कि ऐसा करना अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवास वित्त कम्पनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (इसके बाद प्रमुख निर्देशों के रूप में उल्लिखित) को तत्काल प्रभाव से, निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है--

1. अनुच्छेद 2 में संशोधन

प्रमुख निर्देशों के अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (वाई) में--

(क) उप-धारा (vi) में ''उनको शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प के साथ'' शब्दों के स्थान पर ''जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तित होंगे'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ख) उप-धारा (ix) में निम्न शबदों को अंत में शामिल किया जाता है--''बशर्ते कि निर्गमन कर्त्ता के पास अवधि के बीच में रिकाल करने का कोई विकल्प न हो।''

2. अनुच्छेद 12 में संशोधन

प्रमुख निर्देशों के अनुच्छेद 12 के उप अनुच्छेद (v) के अंत में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है--

''निम्न उप अनुच्छेद (vii) के अध्यधीन, एक समस्याप्रद आवास वित्त कंपनी द्वारा ऋण का अनुदान अथवा।''

3. अनुच्छेद 13 में संशोधन

प्रमुख निर्देशों के अनुच्छेद 17 में,

(क) उप अनुच्छेद (1) में, धारा (एच) के बाद, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है--

"(i) इसके द्वारा मांगी गई जमाराशि बीमाकृत नहीं है।''

(ख) उप-अनुच्छेद (1) में इसके बाद, निम्न नया उप अनुच्छेद (1) (ए) शामिल किया जाता है--

''(1) (क) जहां एक आवास वित्त कम्पनी, जमाराशि की मांग के बिना भी, इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यम जैसे टीवी में कोई विज्ञापन प्रदर्शित करती है, वहां कम्पनी ऐसे विज्ञापनों में एक अनुशीर्षक/बैंड समाविष्ट करेगी जिनमें निम्न को शामिल किया जाएगा--

''कम्पनी की जमाराशि लेने के क्रियाकलाप के संबंध में, दर्शक सार्वजनिक जमा की मांग के लिए समाचारपत्र/आवेदन प्रपत्र में प्रदान की गई सूचना का संदर्भ ले सकते हैं;

कम्पनी के पास राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के तहत, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांकित..है। हालांकि, राष्ट्रीय आवास बैंक कम्पनी की वर्तमान वित्तीय सुदृढ़ता अथवा किसी विवरण की सत्यता हेतु अथवा कम्पनी द्वारा आवेदित तथ्यों एवं विचारों की अभिव्यक्ति एवं कम्पनी द्वारा दायित्वों के निर्वहन/जमाराशि के पुनर्भुगतान हेतु कोई जिम्मेदारी न तो स्वीकार करता है एवं न ही उसकी कोई गारंटी लेता है।''

राज विकास वर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 19th March 2014

No. NHB.HFC.DIR.10 /CMD/2014--In exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, having considered it necessary in the public interest and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 (hereinafter referred to as the principal Directions) shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely-

1. Amendment of paragraph 2

In paragraph 2 of the principal Directions, in sub-paragraph (1), in clause (y),-

(a) in sub-clause (vi), for the words" with an option to convert them into shares" the words" which would be compulsorily convertible into equity" shall be substituted.

(b) in sub-clause (ix), the following words shall be added at the end, namely-

" provided there is no option for recall by the issuer within the period."

2. Amendment of paragraph 12

In paragraph 12 of the principal Directions, in sub-paragraph (v), the following shall be added at the end, namely-

"or grant of loan by a problem housing finance company, subject to sub-paragraph (vii) below."

3. Amendment of paragraph 17

In paragraph 17 of the principal Directions,

(a) in sub-paragraph (1), after clause (h), the following shall be inserted, namely -

"(i) the deposits solicited by it are not insured."

(b) after in sub-paragraph (1), the following sub-paragraph (1)(A) shall be inserted, namely-

"(1)(A) Where a housing finance company displays any advertisement in electronic media such as TV, even without soliciting deposits, it should incorporate a caption/ band in such advertisements indicating the following:

"As regards deposit taking activity of the company, the viewers may refer to the advertisement in the newspaper/ information furnished in the application form for soliciting public deposits;

The company is having a valid Certificate of Registration dated xx-xx-xxxx issued by the National Housing Bank under Section 29A of the National Housing Bank Act, 1987. However, the National Housing Bank does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for repayment of deposits/discharge of the liabilities by the company".

R. V. VERMA
Chairman & Managing Director